16

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /2017 पुनरीक्षण

1. खलक सींग पुत्र स्व. छोटेलाल घोषी
2. खिलावन सींग पुत्र छोटेलाल घोषी

दोनों निवासीगण ग्राम बरमा तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि .... को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. हीरा सींग पुत्र. रामनाथ सींग घोषी
2. तेज सींग पुत्र रामनाथ सींग घोषी
3. श्रीमती गेंदा पत्नी तिज्जन सींग घोषी
4. श्रीमती श्रीबाई पत्नी हीरा सींग घोषी

सभी निवासीगण ग्रणम बरमा तह. बडामलहरा

5. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर (म.प्र.) द्वारा अपील प्र.कं. /312/अ–6/वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 5.09.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, ख.नं. 21, 30/4, 96/1, 96/2, 234, 273/1, 273/2, 273/3, 490/2, 493/1, 493/2, 519, 521/1, 521/2, 522, 524, 637, 651, 709, कुल किता 19 कुल रकवा 7.089 है. भूमि ग्राम बरमा तह. बडामलहरा में

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/छतरपुर/भू0रा0/2017/3599

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2017	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित एवं अनावेदक क. 5 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री. अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार के उपरांत आलोच्य आदेश पारित किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनका यह निष्कर्ष विधिसम्मत है कि रजिस्टर्ड बयनामों को विधिवत् शून्य घोषित कराने के लिए व स्वत्व के बिन्दु का निराकरण कराने के लिए उपभयपक्ष व्यवहार न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	